"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च 2016— चैत्र 1, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 (चैत्र 1, 1938)

क्रमांक-135/वि.स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 4 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्र. 11 सन् 1990) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

नवीन धारा 26क का अंत:स्थापन.

2. छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्र. 11 सन् 1990) की धारा 26 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**26क. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.-** (1) यदि राज्य शासन का समाधान हो जाये कि लोक हित में आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकेगा और तदुपरांत अनुसूची, राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संशोधित की गई समझी जायेगी.

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य में चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिये और राज्य में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की अत्यंत कमी की समस्या के समाधान के लिये, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्र. 11 सन् 1990) की अनुसूची में विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को, समय समय पर, अधिसूचना के माध्यम से, समाहित करने के लिये राज्य शासन को शक्ति देते हुये, उनको (संचालित पाठ्यक्रमों को) मान्यता देने का विनिश्चय किया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 2 मार्च, 2016

अजय चंद्राकर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

खण्ड 02 : अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् का गठन किया गया है. परिषद् द्वारा अधिनियम की अनुसूची में वर्णित शैक्षणिक योग्यता धारण करने वाले चिकित्सकों का पंजीयन किया जाता है. बिना पंजीयन कराये कोई भी चिकित्सक चिकित्सकीय कार्य नहीं कर सकते हैं.

2. प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है. जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना आवश्यक है. इन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की अतिरिक्त योग्यताओं का पंजीयन करने हेतु नवीन पाठ्यक्रमों का समावेश अधिनियम की अनुसूची में करना आवश्यक होगा. वर्तमान में अनुसूची में संशोधन का प्रावधान अधिनियम में नहीं है. उक्त अधिनियम में बार-बार संशोधन न करना पड़े, इस हेतु अधिनियम में संशोधन कर अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार राज्य शासन को प्रत्यायोजित करना प्रस्तावित है.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्र. 11 सन् 1990) की धारा 26 का सुसंगत उद्धरण :-

---

धारा -26

इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई सद्भावपूर्वक की गई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, परिषद् या उसकी किसी समिति, या सरकार के या परिषद् कार्रवाई का संरक्षण के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध नहीं होगी.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.